



अधिसूचना

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों की सत्र 2021-22 व 2022-23 में बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 के द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर क्वालीफाइंग प्रकृति के को-करिकुलर व माइनर पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण छात्रों के निराकरण हेतु मा0कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 04.08.2023 की संस्तुतियों को परीक्षा समिति दिनांक 04.08.2023 द्वारा अनुमोदित करते हुये निम्न निर्णय लिया गया है-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में जारी शासनादेश संख्या-1032/सत्तर-3-2022-08 (35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के बिन्दु संख्या-3 कक्षोन्नति/प्रोन्नति के प्रस्तर 3.3 में यह उल्लिखित है कि- "द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक 48 क्रेडिट के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा सह-पाठ्यक्रम पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।"

उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के आलोक में ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) से तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में प्रोन्नति हेतु प्रथम वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) के आवश्यक 48 क्रेडिट तथा मेजर, माइनर, को-करिकुलर, सह-पाठ्यक्रम के सभी पेपर उत्तीर्ण होने की शर्त लागू है।

उक्त के दृष्टिगत छात्रहित में उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-3 के प्रस्तर 3.3 में शिथिलता प्रदान करते हुए उपरोक्त अनुत्तीर्ण छात्रों के क्रेडिट न होने के बाद भी सत्र 2021-22 व 2022-23 के ऐसे समस्त छात्रों को इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि जब तक इनके द्वारा आवश्यक 48 क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें उपाधि/अंकपत्र की हार्डकापी निर्गत नहीं की जाएगी।

नोट- परीक्षा सम्बन्धी यह निर्णय केवल प्रवेश सत्र 2021-22 व 2022-23 तक के छात्रों पर ही लागू होगा।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर।

दिनांक: 04/08/2023

पत्रांक: 376/कु0का0/सि0वि0वि/2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिष्ठाता- कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय।
- 2- प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
- 3- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 4- उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 5- समस्त अनुभाग/विभाग।
- 6- निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 7- कोडिंग प्रभारी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 8- पत्रावली।

कुलसचिव